भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 2956

दिनांक 13.08.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

विमानपत्तनों पर भारतीय कामगारों की गिरफ्तारी

2956 श्री संत बलबीर सिंह:

क्या ***विदेश*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को भारतीय कामगारों को, विशेषकर अरब देशों में, भारत लौटने का प्रयास करते समय चोरी, वित्तीय अपराधों अथवा अन्य अपराधों के आरोपों के आधार पर विमानपत्तनों पर गिरफ्तार किए जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) विगत पाँच वर्षों के दौरान ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है, जिनमें भारतीय मिशनों द्वारा हस्तक्षेप किया गया, और ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है जिनमें बाद में आरोप झूठे, मनगढ़ंत अथवा विवादित पाए गए; और

(ग) क्या ऐसी कोई व्यवस्था है जिसके अंतर्गत किसी भारतीय नागरिक को हिरासत में लिए जाने पर भारतीय मिशनों द्वारा भारत में उसके परिवार को तत्काल सूचित किया जाना अनिवार्य हो, ताकि परिवार कई दिनों तक अपने प्रियजन के ठिकाने और सुरक्षा की जानकारी से अनभिज्ञ न रहे?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

(**श्री कीर्तवर्धन सिंह**)

(क) से (ग) विदेशी सरकारें सामान्यतः विदेशी नागरिकों की गिरफ्तारी के संबंध में जानकारी साझा नहीं करती हैं, सिवाय उन मामलों के, जिनमें संबंधित व्यक्ति को निर्वासन के आदेश दिए गए हों तथा यात्रा दस्तावेज/राष्ट्रीयता के सत्यापन और आपातकालीन प्रमाण–पत्र जारी करने की आवश्यकता हो।भारतीय नागरिकों की गिरफ्तारी की सूचना सामान्यतः बंदी के परिवार के सदस्यों, मित्रों अथवा सहकर्मियों द्वारा भारतीय मिशनों/केंद्रों को दी जाती है। भारतीय मिशन/केंद्र ऐसे मामलों को संबंधित स्थानीय प्राधिकारियों के समक्ष

सक्रिय रूप से उठाते हैं, कोंसुलर पहुँच सुनिश्चित करते हैं तथा परिवार के सदस्यों को स्थिति से अवगत कराते रहते हैं।

भारतीय मिशन/केंद्र विदेशों में संकटग्रस्त भारतीय नागरिकों को साधन परीक्षण के आधार पर वित्तीय एवं कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय समुदाय कल्याण कोष (आईसीडब्ल्यूएफ) का भी उपयोग करते हैं। आईसीडब्ल्यूएफ के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को आवास एवं भोजन की व्यवस्था, भारत वापसी के लिए हवाई यात्रा, कानूनी सहायता तथा आपातकालीन चिकित्सा देखभाल जैसी सहायता प्रदान की जाती है।

वर्ष 2021–25 की अवधि के दौरान अरब देशों में भारतीय कामगारों से विभिन्न प्रकार की श्रम संबंधी समस्याओं, जिनमें हवाई अड्डों पर गिरफ्तार किए जाने से संबंधित मामले भी शामिल हैं, के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या तथा सफलतापूर्वक निस्तारित की गई ऐसी शिकायतों की संख्या **अनुबंध–क** में संलग्न है।

अनुबंध–क

क्र.सं.	देश का नाम	प्राप्त/निपटाई गई शिकायतों की संख्या									
		प्राप्त शिकायतें	निपटाई गई शिकायतें	प्राप्त शिकायतें	निपटाई गई शिकायतें	प्राप्त शिकायतें	निपटाई गई शिकायतें	प्राप्त शिकायतें	निपटाई गई शिकायतें	प्राप्त शिकायतें	निपटाई गई शिकायतें
		2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
1.	अल्जीरिया	8	8	4	4	4	4	7	7	3	3
2.	बहरीन	335	327	612	579	711	649	603	594	345	341
3.	मिस्र	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
4.	इराक	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
5.	जॉर्डन	0	0	0	0	118	118	23	23	43	43
6.	कुवैत	4,339	2,910	5,660	3,820	7,820	4,517	3,728	2,055	4,081	2,608
7.	मॉरिटानिया	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
8.	मोरक्को	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	ओमान	1,401	1,391	2,478	1,927	4,281	4,111	3,114	3,035	2,345	2,241
10.	कतर	1,551	1,552	436	568	139	121	162	334	135	257
11.	सऊदी अरब	1,778	1,772	2,445	2,439	3,127	3,098	2,876	2,637	2,897	2,345
12.	सीरिया	0	0	0	0	1	1	4	4	2	2
13.	ट्यूनीशिया	0	0	0	0	0	0	1	1	48	48
14.	यू.ए.ई.	3,205	2,948	3,766	3,705	4,034	3,649	3,682	3,543	4,381	3,963

*****